राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
आई.टी.भवन, योजना भवन परिसर, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर

क्रमांक :-एफ.2(7047)/डी.ओ.आई.टी./संस्था/16/ M2-2473 जयपुर,दिनांक 24-05-21

अनापत्ति प्रमाण पत्र

राजस्थान कम्प्युटर अधीनस्थ सेवा के विभिन्न विभागों में कार्यरत/पदस्थापित सूचना सहायकों ने निम्नानुसार अध्ययन हेतु पत्राचार/दूरस्थ/स्वंयपाठी माध्यम से प्रवेश की अनुमति चाही गई है:-

क्र. स.	मेरिट न.	नाम	पदस्थापित विभाग	कोर्स का नाम/सत्र	विश्वविद्यालय का नाम
1	3520	श्री मुकेश बेरवाल	पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी विश्विद्यालय, सीकर	B.A. (2021-22)	पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी विश्विद्यालय, सीकर
2	3979	श्रीमती ममता बाई	राज ऋषि भतृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर	M.Sc. C.S. Final Year (2021-22)	वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

उक्त हेतु उपर्युक्त सूचना सहायको को अनापत्ति प्रमाण पत्र राजस्थान सिविल सेवाऐं (आचरण) नियम, 1971 के नियम-17 की निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन प्रदान की जाती है:-

1. शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय यदि कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त मानी जाएगी।
2. राजसेवक का पदस्थापन अध्ययन स्वीकृति संस्थान के मुख्यालय से परिवर्तन/स्थानान्तरित हो जाता है तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।
3. विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बगैर अध्ययन चालू रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने वाले कर्मचारियों के विरूद्व नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
4. जिन कर्मचारियों को इस वर्ष उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अथवा अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जायेगी उन्हे परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नही किया जायेगा।
5. अध्ययन स्वीकृति दिये जाने से अधिकारी/कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकारी नहीं मिल पायेगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।
6. अध्ययन से राजसेवक दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, अन्यथा स्वीकृति समाप्त कर दी जाएगी।
7. अध्ययन वर्ष मे अधिकारी/कर्मचारी की उपस्थिति का प्रतिशत कम होने के लिये सरकार/विभाग किसी प्रकार से जिम्मेदार नही होगा।
8. परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
9. प्रशासनिक कारणोवश अध्ययन स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।
10. इस अनापत्ति प्रमाण पत्र से अभ्यर्थी द्वारा किए जा रहे अध्ययन के पाठ्यक्रम या विश्वविद्यालय की मान्यता या गैर-मान्यता के संबंध में इस विभाग की स्वीकृति नहीं मानी जायेगी।

Contd..

Scanned with CamScanner

राजस्थान सरकार

सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

आई.टी.भवन, योजना भवन परिसर, तिलक मार्ग, सी-स्किम, जयपुर

11. उक्त शर्तों की अवहेलना करने या पाई जाने पर कार्मिक/कार्मिका के विरूद्ध कार्मिक विभाग के परिपत्र कमांक प.9(5)(9)/कार्मिक/क–3/2001 दिनांक 16 मई 2002 के अनुसार वृहत शास्ति हेतु अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल मे लाई जायेगी।

कार्मिक/कार्मिका को यह भी निर्देशित किया जाता है कि वे भविष्य में किसी भी प्रकार के अध्ययन पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने से पूर्व विभागीय स्वीकृति प्राप्त करें।

(विवेक कुमार)
विशेषाधिकारी (यू.आई.डी.) एवं
प्रभारी अधिकारी संस्थापन (अराजपत्रित)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है:–

1. संबधित विभागाध्यक्ष........................।
2. संबधित कर्मचारी..............................।
3. निजी/रक्षित पत्रावली।
4. प्रभारी अधिकारी, वेबसाइट, वेबसाइट पर अपलोड़ हेतु।

विशेषाधिकारी (यू.आई.डी.) एवं
प्रभारी अधिकारी संस्थापन (अराजपत्रित)

Scanned with CamScanner